

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

केशाराम

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

रामकरण वगै०

प्रकरण नं. 176 / 2016

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
22.07.2016	<p>वाद वादी ने जरिये वकील अधीन धारा 183 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश किया है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी हो। मिसल दिनांक 22/8/16 को पेश हो।</p> <p><i>(Handwritten signature)</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल (नागौर)</p> <p>आपकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>गोठालीन अधिकाारी की मिटिंग में/अन्य प्रकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकाश उनके समक्ष दिनांक 22-8-16 को प्रकाश करें।</p>	
22-8-16	<p>आपकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>गोठालीन अधिकाारी की मिटिंग में/अन्य प्रकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकाश उनके समक्ष दिनांक 23-8-16 को प्रकाश करें।</p>	
23-8-16	<p>आपकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>गोठालीन अधिकाारी की मिटिंग में/अन्य प्रकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकाश उनके समक्ष दिनांक 23-8-16 को प्रकाश करें।</p>	
23/11/16	<p>वकील वादी उपर प्रतिवादी रामकरण की दौर से वकील श्री HRM ने जवाब पेश किया जो कागज मिसल रहे। मिसल वाहेत अतन्की हेतु दिनांक 13/11/17 को पेश हो।</p>	

11/11/20	<p>आपकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>गोठालीन अधिकाारी की मिटिंग में/अन्य प्रकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकाश उनके समक्ष दिनांक 11/11/20 को प्रकाश करें।</p>	
----------	--	--

तारीख
हुक्म

11.1.1

उफ आपके एवं नही पत्रकार उपलब्ध
अपने। डावापे लगाई गई। स्पष्ट
समय व अवसर के बावजूद कोई
हाजीर नही थारे। अतः पत्रावली को
अदम परी - अदम हाजरी में खालि
बिना जाना है पत्रावली के लल
सुमार एन्च दाखिल दफतर है।

2

8

उपर लिखित पत्रकार / सुहायक
रिपोर्ट के लिए निम्न लिखित कार्य
निम्नलिखित समय में पूरी करावें
उपर लिखित विषय पर

11/1/11